अनुदान संख्या 63 – श्रम और रोजगार मंत्रालय
GRANT No. 63 – MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	13269,37,00	24481,34,00	24013,00,31	-468,33,69
पूरक	Supplementary	11211,97,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				53,14,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		37,13,00	23,33,29	-13,79,71
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				12,93,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251" सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	Major Head "2251" Secretariat - Social Services				
मू.	O.	7700.00	6960.96	6563.23	-397.73
पु.	R.	-739.04			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2230" श्रम, रोजगार और कौशल विकास	Major Head "2230" Labour, Employment and Skill Development				
मू.	O.	1189077.00			
पू.	S.	1006737.00	2434206.77	2393269.59	-40937.18
पु.	R.	238392.77			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head"2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	127560.00			
पू.	S.	114460.00	..	..	..
पु.	R.	-242020.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकार को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	700.00			
			25.00	24.92	-0.08
पु.	R.	-675.00			

(I) ₹242120.00 लाख का प्रावधान (दिसम्बर, 2021 और मार्च, 2022 में प्राप्त ₹114460.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹241840.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹242120.00 lakhs (including supplementary grant of ₹114460.00 lakhs obtained in December, 2021 and March, 2022) remained wholly unutilized under ten heads; of these ₹241840.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" under the following heads:-

(का) "श्रम – अनुसंधान और सांख्यिकी – अन्य मदें – ₹1000.00 लाख;

(A) "Labour - Research and Statistics - Other Items" - ₹1000.00 lakhs;

(खा) "श्रम – बाल/महिला श्रमिक की कार्य स्थिति में सुधार – स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता अनुदान सहित राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना तथा बंधुवा मजदूरों को सहायता की प्रतिपूर्ति" – ₹1200.00 लाख;

(B) "Labour-Improvement in Working Condition of Child/Women Labour" – National Child Labour Project including grants-in-aid to voluntary agencies and reimbursement of assistance to bonded labour" - ₹1200.00 lakhs;

(गा) "रोजगार सेवाएं – अनुसंधान सर्वेक्षण और सांख्यिकी – रोजगार संवर्धन स्कीम" – ₹5570.00 लाख;

(घा) "श्रम – श्रम के लिए सामाजिक सुरक्षा" –

(क) "सामाजिक सुरक्षा स्कीमें" – ₹45953.00 लाख की बचत (₹9453.00 लाख के पूरक अनुदान सहित;

(ख) "कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995" – ₹181376.00 लाख (₹105007.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ग) "असम के बागान कामगारों के लिए परिवार पेंशन – एवं– जीवन बीमा स्कीम" – ₹4758.00 लाख;

(घ) "असम के चाय बागान कामगारों के लिए जमा सहबद्ध बीमा योजना" – ₹1232.00 लाख; और

(ङा) "श्रम – सामान्य श्रम कल्याण – श्रम कल्याण स्कीम" – ₹751.00 लाख।

उपर्युक्त आठ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2230" – "श्रम"– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – सामाजिक सुरक्षा स्कीमें" – दिसम्बर 2021 में ₹14331.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹63910.00 लाख का मूल प्रावधान बढाकर ₹78241.00 लाख कर दिया गया। तथापि ₹15161.00 लाख की बचत हुई (पूरक अनुदान सहित); और

(C) "Employment Services - Research Survey and Statistics - Employment Promotion Scheme" - ₹5570.00 lakhs;

(D) "Labour - Social Security for Labour" -

(a) "Social Security Schemes" - ₹45953.00 lakhs (including supplementary grant of ₹9453.00 lakhs);

(b) "Employees' Pension Scheme, 1995" - ₹181376.00 lakhs (including supplementary grant of ₹105007.00 lakhs);

(c) "Family Pension-cum-Life Assurance Scheme for the Plantation Workers in Assam" - ₹4758.00 lakhs;

(d) "Deposit Linked Insurance Scheme for Tea Plantation Workers in Assam" - ₹1232.00 lakhs; and

(E) "Labour - General Labour Welfare - Labour Welfare Scheme" - ₹751.00 lakhs.

Provisions under the above eight heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2230" –"Labour - Special Component Plan for Scheduled Castes - Social Security Schemes" - the original provision of ₹63910.00 lakhs was augmented to ₹78241.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹14331.00 lakhs in December, 2021. However, there was a saving of ₹15161.00 lakhs (including the supplementary grant); and

(III) मुख्य शीर्ष "2230" – श्रम – जनजातीय क्षेत्र उप – योजना – सामाजिक सुरक्षा स्कीमें" – ₹33110.00 लाख के मूल प्रावधान को दिसंबर, 2021 में ₹7365.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढाकर ₹40475.00 लाख कर दिया गया जो तथापि ₹6626.13 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) Under Major Head "2230" - "Labour - Tribal Area Sub-Plan - Social Security Schemes" - the original provision of ₹33110.00 lakhs was augmented to ₹40475.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹7365.00 lakhs in December, 2021 which, however, remained unutilised to the extent of ₹6626.13 lakhs.

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत "प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम" और "प्रधान मंत्री कर्म योगी मानधन स्कीम" के अंतर्गत कम लाभार्थियों के नामांकन के कारण कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कम निधियो की आवश्यकता और स्कीम मांग आधारित होने के कारण कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to requirement of less funds by the implementing agencies owing to enrollment of less beneficiaries under "Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Scheme" and "Pradhan Mantri Karam Yogi Maandhan Scheme" and receipt of less viable proposals, scheme being demand driven.

(IV) मुख्य शीर्ष "2251" – "सचिवालय – श्रम मंत्रालय" के अंतर्गत ₹1136.77 लाख की बचत (₹7700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंहगाई भत्ता के स्थिरीकरण किए जाने, कम दौरे किए जाने, कोविड–19 महामारी की वजह से कम स्थापना खर्चे किए जाने और पीएम श्रम पुरस्कार का आयोजन न किए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2251"- "Secretariat - Ministry of Labour"- saving of ₹1136.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7700.00 lakhs) was due to freezing of dearness allowance, less tours undertaken, less establishment related expenses owing to COVID-19 pandemic and non-holding of PM Shram Awards.

(V) मुख्य शीर्ष "2230" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(V) Under Major Head "2230" – savings occurred under the following heads:-

(का) "श्रम" –

(क) "अनुसन्धान और सांख्यिकी – अन्य मदें" – ₹6434.15 लाख की बचत (₹12897.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय वित्त समिति की सिफारिशो पर सर्वेक्षणो में कटौती और कोविड–19 महामारी की वजह से कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा धीमी गति से सर्वेक्षण किए जाने के कारण हुई।

(A) "Labour" -

(a) "Research and Statistics – Other Items" - saving of ₹6434.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 12897.00 lakhs) was due to curtailment of surveys on the recommendations of Expenditure Finance Committee and slow pace of survey by the implementing agency owing to COVID-19 pandemic.

(ख) "सामान्य श्रम कल्याण – सामान्य श्रम कल्याण स्कीमें" – ₹5126.06 लाख की बचत (₹24680.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित एकीकृत आवास योजना, 2016 को प्रधान मंत्री आवास योजना में परिवर्तित किये जाने और कोविड–19 महामारी की वजह से छात्रवृत्ति और वृत्तिका के तहत कम आवेदन प्राप्त होने के कारण हुई।

(ग) "बाल/महिला श्रमिकों की कार्य स्थितियों में सुधार – स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता अनुदान सहित राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना तथा बंधुवा मजदूरों को सहायता की प्रतिपूर्ति" – ₹5783.53 लाख की बचत (₹7776.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(घ) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(i) "स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता अनुदान सहित राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना तथा बंधुवा मजदूरों को सहायता की प्रतिपूर्ति" – ₹1942.00 लाख की बचत (₹1992.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कोविड–19 महामारी के कारण प्रोजेक्ट सोसाइटियों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता और मांग आधारित स्कीम होने के कारण कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) "श्रम कल्याण स्कीमें" – ₹1936.90 लाख की बचत (₹2490.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित एकीकृत आवास योजना, 2016 को प्रधान मंत्री आवास योजना में परिवर्तित किए जाने और कोविड–19 महामारी की वजह से छात्रवृत्ति और वृत्तिका के तहत कम आवेदन प्राप्त होने के कारण हुई।

(b) "General Labour Welfare – General Labour Welfare Schemes" – saving of ₹5126.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹24680.00 lakhs) was due to conversion of Revised Integrated Housing Scheme, 2016 with Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY) and receipt of less applications under scholarship and stipend owing to COVID-19 pandemic.

(c) "Improvement in Working Conditions of Child/Woman Labour – National Child Labour Project including grants-in-aid to voluntary agencies and reimbursement of assistance to bonded labour" - saving of ₹5783.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7776.00 lakhs); and

(d) "Special Component Plan for Scheduled Castes" –

(i) "National Child Labour Project including grants-in-aid to voluntary agencies and reimbursement of assistance to bonded labour" - saving of ₹1942.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1992.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to requirement of less funds by the project societies owing to COVID-19 pandemic and receipt of less proposals, scheme being demand driven.

(ii) "Labour Welfare Schemes" - saving of ₹1936.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2490.00 lakhs) was due to conversion of Revised Integrated Housing Scheme, 2016 with Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY) and receipt of less applications under scholarship and stipend owing to COVID-19 pandemic.

(iii) "अन्य मदें" – ₹2466.29 लाख की बचत (₹2490.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ङ) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(i) "अन्य मदें" – ₹1247.10 लाख की बचत (₹1290.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें व्यय वित्त समिति की सिफारिशों पर सर्वेक्षण में कटौती करने और कोविड–19 महामारी की वजह से कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सर्वेक्षण की धीमी गति के कारण हुई।

(ii) "स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता अनुदान सहित राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना तथा बंधुवा मजदूरों को सहायता की प्रतिपूर्ति" – ₹860.00 लाख की बचत (₹1032.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण प्रोजेक्ट सोसाइटियों द्वारा कम निधियो की आवश्यकता और स्कीम मांग आधारित होने के कारण कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(iii) "श्रम कल्याण स्कीम" – ₹1189.44 लाख की बचत (₹1290.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित एकीकृत आवास योजना, 2016 को प्रधान मंत्री आवास योजना में परिवर्तित किए जाने और कोविड–19 महामारी की वजह से छात्रवृत्ति और वृत्तिका के तहत कम आवेदन प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) "रोजगार सेवा" –

(iii) "Other Items" – saving of ₹2466.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2490.00 lakhs); and

(e) "Tribal Area Sub-Plan" –

(i) Other Items" – saving of ₹1247.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1290.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to curtailment of surveys on the recommendations of Expenditure Finance Committee and slow pace of survey by the implementing agency owing to COVID-19 pandemic.

(ii) "National Child Labour Project including grants-in-aid to voluntary agencies and reimbursement of assistance to bonded labour" - saving of ₹860.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1032.00 lakhs) was due to requirement of less funds by the project societies owing to COVID-19 pandemic and receipt of less proposals, scheme being demand driven.

(iii) "Labour Welfare Scheme" - saving of ₹1189.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1290.00 lakhs) was due to conversion of Revised Integrated Housing Scheme, 2016 with Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY) and receipt of less applications under scholarship and stipend owing to COVID-19 pandemic.

(B) "Employment Service" -

(क) "रोजगार सेवाएं – रोजगार संवर्द्धन स्कीम" – ₹50698.90 लाख की बचत (₹65084.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – रोजगार संवर्धन स्कीम" – ₹11267.68 लाख की बचत (₹15946.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – रोजगार संवर्धन स्कीम" – ₹5883.44 लाख की बचत (₹8300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने और कोविड–19 महामारी के दौरान कार्यकलापों में व्यवधान के कारण एनसीएस कार्यत्मकताओं के उन्नयन के लिए एजेन्सियों के चयन के लिए प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने और रोज़गार कार्यालय को एनसीएस पोर्टल के साथ जोड़ने के कारण हुईं।

(VI) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – रोजगार सृजन कार्यक्रम" – ₹675.08 लाख की बचत (₹700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से उपयोग प्रमाण–पत्र की प्राप्ति न होने और पिछले वर्ष अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹313747.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "2230" – "श्रम" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दिसंबर 2021 और मार्च 2022 में ₹1121197.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(a) "Employment Services – Employment Promotion Scheme" – saving of ₹50698.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹65084.00 lakhs);

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes" – Employment Promotion Scheme" – saving of ₹11267.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15946.00 lakhs); and

(c) "Tribal Area Sub-Plan – Employment Promotion Scheme" – saving of ₹ 5883.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8300.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to receipt of less proposals from implementing agencies and non-materialisation of proposals for selection of agencies for upgradation of NCS functionalities and interlinking of Employment exchange with NCS Portal owing to disruption of activities during COVID-19 pandemic.

(VI) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Employment Generation Programmes" - saving of ₹675.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹700.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates from implementing agencies and availability of unspent balances of previous year.

2.(I) The above savings were partly (₹313747.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹1121197.00 lakhs in December, 2021 and March, 2022 under Major Head "2230" - "Labour - under the following heads:-

(का) "श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा" –

(क) "सामाजिक सुरक्षा स्कीमें" – ₹43558.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹40625.00 लाख था।

(ख) "कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995" – ₹248410.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹247779.00 लाख था।

(खा) "शिक्षा – सेन्ट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन को अनुदान"– ₹1546.75 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1546.17 लाख था।

(गा) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना–

(क) "कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995" – ₹13453.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹13272.87 लाख था।

(ख) "शिक्षा" – ₹266.25 लाख।

(घा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995" – ₹6513.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹5695.46 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2230" – "श्रम–श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईः–

(का) "असम में बागान कामगारों के लिए परिवार पेंशन – सह–जीवन बीमा स्कीम"– ₹3958.00 लाख का अधिक व्यय (₹5.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान कि तुलना में); और

(खा) "असम में चाय बगान कामगारों के लिए जमा सहबद्ध बीमा योजना" – ₹1032.00 लाख का अधिक व्यय (₹5.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(A) "Social Security for Labour" –

(a) "Social Security Schemes" - ₹43558.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹40625.86 lakhs.

(b) "Employees' Pension Scheme,1995" - ₹248410.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹247779.00 lakhs.

(B) "Education – Grants to Central Board for Workers Education" - ₹1546.75 lakhs. Actual excess, however, was ₹1546.17 lakhs.

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes" –

(a) "Employees' Pension Scheme, 1995" - ₹13453.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹13272.87 lakhs.

(b) "Education" - ₹266.25 lakhs.

(D) "Tribal Area Sub-Plan – Employees' Pension Scheme, 1995" - ₹6513.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹5695.46 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2230" - "Labour - Social Security for Labour" – under the following heads:-

(A) "Family Pension-cum-life Assurance Scheme for the Plantation Workers in Assam" – excess of ₹3958.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5.00 lakhs); and

(B) "Deposit Linked Insurance Scheme for Tea Plantation Workers in Assam" - excess of ₹1032.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के तहत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईः–

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4250" अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4250" Capital Outlay on Other Social Services				
मू.	O.	3703.00	2410.00	2325.76	-84.24
पु.	R.	-1293.00			

(I) "श्रम – अन्य मदें" – के अंतर्गत ₹1226.94 लाख की बचत (₹2303.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण निर्माण कार्य के लिए निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने में विलंब होन के कारण हुई।

(I) Under "Labour - Other Items" - saving of ₹1226.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2303.00 lakhs) was due to delay in finalisation of tender for construction work owing to COVID-19 Pandemic.

4. बीड़ी कामगार कल्याण निधिः–

4. Beedi Workers Welfare Fund:-

यह निधि बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के अधीन बीड़ी विनिर्माण में लगे व्यक्तियों तथा उनके आश्रितों के लिए कल्याणकारी क्रियाकलापों का वित्तपोषण करने के लिए गठित की गई थी। बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 के अधीन बीड़ियों के विनिर्माण के संबंध में किसी भी प्रयोजन के लिए भांडागारों से व्यक्तियों को दिए गए तम्बाकू पर उपकर लगाकर निधि को वित्तपोषित किया जाता था। इस उपकर को वित्त अधिनियम, 1979 के अधीन मार्च, 1979 से हटा दिया गया था परन्तु बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन अधिनियम, 1981) के अंतर्गत इसे 1 जनवरी, 1982 से फिर से लगा दिया गया था।

The Fund was constituted under the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 for financing welfare activities of persons and their dependents engaged in Beedi manufacturing. The fund was financed by the levy of cess collected under Beedi Workers Cess Act, 1976 on tobacco issued to the persons from warehouses for any purpose in connection with manufacture of Beedi. This cess was abolished with effect from March, 1979 under the Finance Act, 1979 but was levied again with effect from 1st January, 1982 under the Beedi Workers Welfare Cess (Amendment Act, 1981).

वर्ष 2021–22 के लिए निधि का लेखा निम्न प्रकार था:–

The Account of the Fund for 2021-22 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	-210,70,63
प्राप्तियां	Receipts	शून्य NIL
अदायगियां	Payments	शून्य NIL
अंतशेष	Closing Balance	-210,70,63